

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112021-231238
CG-DL-E-18112021-231238

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4406]
No. 4406]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 18, 2021/कार्तिक 27, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 18, 2021/KARTIKA 27, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2021

का.आ. 4772(अ).—यतः, मै. काकीनाडा एसईजेड लिमिटेड (पूर्व में मै. काकीनाडा एसईजेड प्राईवेट लिमिटेड), ने आंध्र प्रदेश राज्य के पोन्नदा, मुलापेटा, रामनंक्कापेटा, काकीनाडा गाँव, पूर्व गोदावरी जिले में बहु उत्पाद विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 342 (अ) दिनांक 06 फरवरी, 2013 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 1013.64 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित कर दिया था;

और यतः, मै. काकीनाडा एसईजेड लिमिटेड ने उपरोक्त स्थान पर स्थित केएसईजेड-1 एवं केएसईजेड-2 के 2049.3088 हेक्टेयर क्षेत्र को क्लब करने का प्रस्ताव किया था और केन्द्र सरकार ने दिनांक 13.01.2016 को स्वीकृत पत्र प्रदान कर दिया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्याओं का.आ. 2177 (अ) दिनांक 5 जुलाई, 2017 एवं का.आ. 1217 (अ) दिनांक 14 मार्च, 2018 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में क्रमशः 121.43 हेक्टेयर एवं 48.5715 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित कर दिया था;

और यतः, मै. काकीनाडा एसईजेड लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 226.2143 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, आंध्र प्रदेश सरकार ने उनके पत्र सं. आईएनसी01-आईएनडी0पीएनसी (एसईजेड)/2/2019-इफ्रा दिनांक 12.10.2021 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है;

और यतः, विकास आयुक्त, विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 226.2143 हेक्टेयर क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव को संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बन्धित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है तथा आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 12.10.2021 के पत्र द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के अनुसार अनधिसूचित भूमि का उपयोग लॉजिस्टिक्स पार्क और फूड प्रोसेसिंग पार्क विकसित करने के लिए किया जाएगा;

अतः, अब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 226.2143 हेक्टेयर के क्षेत्र को उक्त विशेष आर्थिक जोन के भाग में से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्र 1653.0930 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचित क्षेत्र हेतु नीचे तालिका में दिए गए सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्र शामिल है, अर्थात:-

तालिका

क्र.सं.	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर में
1.	ए.वी. नागरम	बिट-I पार्सल	154.9743
2.	पोन्नदा (बिट-II पार्सल)	208	0.79
3.		222	3.86
4.		223	4.64
5.		225	14.01
6.		226	14.13
7.		227/भाग	0.55
8.		228/भाग	3.45
9.		237/1	1.30
10.		237/2	1.31
11.		239	3.95
12.		240	0.17
13.		357	1.98
14.		227	1.70
15.		206	0.93
16.		221	1.06

17.	मुलापेटा (बिट-II पार्सल)	37	1.04	
18.		41/1ए	0.575	
19.		41/1एम	1.26	
20.		41/3सी	1.96	
21.		41/4डी	0.24	
22.		41/4ई	0.24	
23.		41/4एफ	0.36	
24.		41/4जी	0.30	
25.		41/7	0.83	
26.		42/1आई	1.29	
27.		42/1जे	1.90	
28.		36	0.41	
29.		41/1बी 2	0.40	
30.		41/1एल	0.14	
31.		41/3बी	0.21	
32.		41/4सी	0.095	
33.		41/5	0.59	
34.		41/8	0.40	
35.		41/9ए	0.81	
36.		41/9बी	0.81	
37.		41/9सी	0.85	
38.		42/1एफ	0.76	
39.		42/1के	0.06	
40.		42/3एफ	0.83	
41.		42/3जी	1.05	
कुल			226.2143	
उपर्युक्त घटाव के बाद एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			1653.0930	

[फा. सं. एफ.1/17/2011-एसईजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th November, 2021

S.O. 4772(E).—Whereas, M/s. Kakinada SEZ Limited (formerly M/s. Kakinada SEZ Private Limited), had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Multi-Product Special Economic Zone at Ponnada, Mulapeta, Ramanakkapeta Villages in Kakinada, East Godavari District, in the State of Andhra Pradesh;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 1013.64 hectares vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 342 (E) dated 06.02.2013;

AND, WHEREAS, M/s. Kakinada SEZ Limited proposed for clubbing of KSEZ-I and KSEZ-2 at above location over an area of 2049.3088 hectares and Central Government granted letter of approval on 13.01.2016;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, de-notified 121.43 hectares and 48.5715 hectares vide Ministry of Commerce and Industry Notifications Number S.O. 2177 (E) dated 05.07.2017 and S.O. 1217 (E) dated 14.03.2018 respectively;

AND, WHEREAS, M/s. Kakinada SEZ Limited has now proposed for de-notification of an area of 226.2143 hectares at the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Andhra Pradesh has given its approval to the proposal vide letter No.INC01-IND0PNC(SEZ)/2/2019-INFRA dated 12.10.2021;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Visakhapatnam Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 226.2143 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled and the de-notified land will be used to develop Logistics Park and Food Processing Park as per No Objection Certificate (NoC) issued by Government of Andhra Pradesh vide letter dated 12.10.2021;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 226.2143 hectares, thereby making resultant area as 1653.0930 hectares. The survey numbers and the areas for the de-notification are given below in the table, namely: -

TABLE

S. No.	Name of Village	Survey No.	Area (in hectares)
1.	A.V. Nagaram	Bit-I Parcel	154.9743
2.	Ponnada (Bit-II Parcel)	208	0.79
3.		222	3.86
4.		223	4.64
5.		225	14.01
6.		226	14.13
7.		227/Part	0.55
8.		228/Part	3.45
9.		237/1	1.30
10.		237/2	1.31
11.		239	3.95
12.		240	0.17
13.		357	1.98
14.		227	1.70
15.		206	0.93
16.		221	1.06
17.	Mulapeta (Bit-II Parcel)	37	1.04
18.		41/1A	0.575
19.		41/1M	1.26
20.		41/3C	1.96
21.		41/4D	0.24
22.		41/4E	0.24

23.		41/4F	0.36
24.		41/4G	0.30
25.		41/7	0.83
26.		42/1I	1.29
27.		42/1J	1.90
28.		36	0.41
29.		41/1B2	0.40
30.		41/1L	0.14
31.		41/3B	0.21
32.		41/4C	0.095
33.		41/5	0.59
34.		41/8	0.40
35.		41/9A	0.81
36.		41/9B	0.81
37.		41/9C	0.85
38.		42/1F	0.76
39.		42/1K	0.06
40.		42/3F	0.83
41.		42/3G	1.05
Total Area			226.2143
Total remaining area of the SEZ after above deletion			1653.0930

[F. No. F.1/17/2011-SEZ]
VIPUL BANSAL, Jt. Secy.